

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 99/2015/181(120)/XXVII(8)/2008/देहरादून/दिनांक 20 जनवरी 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27 वर्ष 2005 ए समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 4 की उपधारा (7) सपठित उत्तरप्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 01 वर्ष 1904, उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना में दी गई शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन विक्रेता व्यापारी अपने द्वारा बेचे गये माल के सम्बन्ध में रियायती करदर का दायी होगा के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।



(पीयूष कुमार)

एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड

4867

पत्रांक सं० / दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इन्द्रानगर, देहरादून।
- 3- अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अभिकरण, देहरादून/हल्द्वानी।
- 4- एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/ कुमाऊँ जोन रुद्रपुर।
- 5- एडिशनल कमिश्नर (आडिट/प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
- 6- ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर-निर्धारण अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 7- ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
- 8- ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि०अनु०शा०/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, /हरिद्वार/रुद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

- 9- श्री शहाब अली, डिप्टी कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून एवं Web-Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।
- 10- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रूड़की को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।
- 11- आईटीओ-अनुभाग मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को E-mail द्वारा प्रेषित कर दें।
- 12-Intavatt Info. Pvt. 4 फेयरी मैनर IInd Floor 13- आर० सिंधुआ मार्ग मुम्बई-400001 महाराष्ट्र।
- 13-National Law House बी-2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड़, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
- 14-National Law and Management House 15/5 राजनगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
- 15-Swastk Publication एस०ई-233, शास्त्री नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
- 16-Law Book Traders 10-नगर निगम कम्पाउण्ड केसरगन्ज रोड़ मेरठ उ० प्र०।
- 17-डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्या० कार्य०) वाणिज्य कर, नैनीताल।
- 18-अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सर्वश्री सत्या इण्डस्ट्रीज, माहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।
- 19-प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय सर्वश्री क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड़ देहरादून।
- 20-दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल सर्वश्री नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड़ देहरादून।
- 21- प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीवान ट्रेडिंग कम्पनी 81-मोती बाजार देहरादून।
- 22-The whole sale dealers Association 14-आढ़त बाजार देहरादून।
- 23- प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन 222/5 गांधी ग्राम देहरादून।
- 24- कार्यालय अधीक्षक/विधि-अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।
- 25- समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय।


एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड।

o/c

4



उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

सं० /2015/181(120)/XXVII(8)/08

देहरादून: दिनांक: 20 जनवरी 2015

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27 वर्ष 2005ए समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 4 की उपधारा (7) संपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 01 वर्ष 1904, उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, सहर्ष घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, अधिनियम में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ-साथ निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन विक्रेता व्यापारी अपने द्वारा बेचे गये माल के संबंध में रियायती करदर का दायी होगा-

(1) उपर्युक्त रियायती दर निम्न प्रकार अथवा प्रजाति के वृक्ष, चाहे वह उगाये, काटे अथवा चीरे गए हों, के टिम्बर अथवा वुड की खरीद या बिक्री पर लागू नहीं होगी-

“सागौन(टीक), देवदार, साल, शीशम, कैल और सैल”

और धारा 4 की उपधारा (7) के खण्ड (ख) के अधीन किसी ब्यौहारी को जारी मान्यता प्रमाण पत्र तदनुसार संशोधित समझा जायेगा और मान्यता प्रमाण पत्र धारक ब्यौहारी को खरीद पर, इस प्रकार की टिम्बर अथवा वुड की खरीद पर विशेष रियायत अनुमन्य नहीं होगी, और नियम 23 में किसी बात के होते हुए, मान्यता प्रमाण पत्र धारक ब्यौहारी इस प्रकार अथवा प्रजाति की टिम्बर अथवा वुड के लिए विक्रेता ब्यौहारी को प्रमाण पत्र(निर्धारित प्ररूप में) नहीं देगा।

(2) किसी प्रकार/ प्रजाति के टिम्बर अथवा वुड की बिक्री अथवा खरीद के मामले में बिक्री अथवा खरीद इनवॉयस और विक्रेता ब्यौहारी को दिए गए प्रमाण पत्र में माल के विवरण में इसके प्रकार एवं प्रजाति का उल्लेख किया जायेगा।

(राकेश शर्मा)

अपर मुख्य सचिव।

सं० 99/2015/181(120)/XXVII(8)/2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3-भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।

4-सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।

5-एन0आई0सी0

6-गार्ड फाईल हेतु।

(राकेश शर्मा)

अपर मुख्य सचिव।

10402
22/01/15
रा.स.स.
11

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 99 / 2015 / 181(120) / XXVII(8) / 08 dated 20 JANUARY 2015 for general information.

Government Of Uttarakhand
No. 99 / 2015 / 181(120) / XXVII(8) / 08
Dehradun :: Dated: 20 JANUARY, 2015

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 4 of the uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005, as amended from time to time) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904 as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to declare that, with effect from the date of publication of this notification in Gazette, the selling dealer shall be liable, in respect of the goods sold by him, to tax at a concessional rate subject to the **following conditions and restrictions** in addition to the other conditions or restrictions provided in the Act;

(i) The aforesaid concessional rate shall not be applicable to the sale or purchase of Timber or Wood, of trees whether growing or cut or sawn, of the following kinds or species-

"Teak, Devdar, Sal, Sheesham, Kail and Sain."

and the recognition certificate issued under clause (b) of sub-section (7) of section 4 to any dealer shall be deemed to have been amended accordingly and the recognition certificate holder shall not be eligible for the special relief on the purchase of such timber or wood and notwithstanding anything contained in rule 23, the recognition certificate holder shall not furnish to the selling dealer a certificate (in the prescribed Form) for such kinds or species of timber or wood.

(ii) in case of sale or purchase of any kind or species of timber or wood, its kind and species shall be mentioned, as description of goods, in the sale or purchase invoice and the certificate furnished to the selling dealer.


(Rakesh Sharma)
Additional Chief Secretary.